



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

संख्या

—नि०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु.ए./डीआर/2022

दिनांक 17.06.2022

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय** :—पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

दिनांक 01 जनवरी, 2016 से वेतन/भत्ते पुनरीक्षण विषयक कारपोरेशन ज्ञाप संख्या—13535—नि(मा०सं०)/उपाकालि/7वांवे०आ०/पेंशन दिनांक 28—11—2017 एवं सपठित ज्ञाप सं० 4711—नि(मा०सं०)/उपाकालि/डीआर/2021, दिनांक 31—12—2021, जिसके अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य थी, के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या— File No. FIN7-B/1/1/2022-XXVII-Finance Department (Computer No. 22807)/37013/2022, दिनांक 31—05—2022 की अनुरूपता में, ऐसे समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड से पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय है, को दिनांक 01—01—2022 से 34 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दिए जाने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2— उपरोक्त स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि की गणनाक्रम में निकटतम एक रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक का पूरा रूपया माना जायेगा और 50 पैसे से कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।

3— उपर्युक्तानुसार देय मंहगाई राहत का भुगतान उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्धित पेन्शन खण्डों द्वारा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 449/04/248/नौ-3-ऊ०/पेन्शन/02, दि० 09-03-2004 की अनुरूपता में सम्बन्धित कोषागारों के माध्यम से किया जाएगा। जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के पी०पी०ओ० कोषागारों को प्रेषित किये जा चुके हैं उन्हें पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए अलग से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4— मंहगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे।

### प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2450 —नि०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु.ए./डीआर/2022, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 2— समस्त निदेशक, उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 3— समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता(स्तर-2), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 4— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड शासन, 23—लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- 5— समस्त जिला कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6— समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 7— अधिशासी अभियन्ता(सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 8— समस्त अनुभाग, उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 9— कट फाईल।

17.06.2022

[ के०बी० चौबे ]

महाप्रबन्धक(मा०सं०)